न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 140 सन 2022

अनवान :–

1. मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवेन्द्र पुनिया पुत्र रमेश कुमार जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र हरपत जाति जाट साकिन जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सीमा पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. आरजू पुत्री श्यामलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. पूनम पुत्री रमेश कुमार जाति जाट साकिन जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490हिस्सा , व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवदी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप पुत्र हरपत एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की पुत्रीया है जिनकी शादी हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने निवेदन किया की वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 एव उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका है रामप्रताप के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है । तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490हिस्सा , व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवदी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप पुत्र हरपत एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो रामप्रताप पुत्र हरपत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की पुत्रीया है जिनकी शादी हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
वोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162 / 162 की कुल 8.3490हैक में से 20873 / 83490हिस्सा , व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117 / 117 की कुल 3.6690हैक में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवदी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि रामप्रताप पुत्र हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है रामप्रताप पुत्र हरपत एवं उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका है रामप्रताप के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो रामप्रताप के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162 / 162 की कुल 8.3490हैक में से 20873 / 83490 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को वहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117 / 117 की कुल 3.6690हैक में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवदी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवेन्द्र पुनिया पुत्र रमेश कुमार जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र हरपत जाति जाट साकिन जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सीमा पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. आरजू पुत्री श्यामलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. पूनम पुत्री रमेश कुमार जाति जाट साकिन जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 140 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवदी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner